14.04 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes

past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Margaret Alva *in the Chair*)

Title: Consideration of the Trade Union (Amendment) Bill, 2001. (Bill Passed)

MR. CHAIRMAN: The House will now take up item No. 16, that is, Trade Unions (Amendment) Bill. The Minister will move that the Bill be taken into consideration.

श्रम मंत्री (डॉ.सत्यनारायण जटिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित, पर विचार किया जाये। "

सभापति महोदय, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में नियोजकों तथा कामगारों के व्यवसाय संघों के पंजीकरण का प्रावधान है तथा कतिपय संदर्भों में यह पंजीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है। यह पंजीकृत व्यवसाय संघों को कानूनी तथा निगमित स्तर प्रदान करता है। इस अधिनियम को सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा एसोसिएशन अथवा संघ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है। समय गुजरने के साथ-साथ, औद्योगिक संगठनों तथा श्रम बल के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तथापि, व्यवसाय संघ अधिनियम में अभी तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

व्यवसाय संघों तथा राज्य सभा में पुरः स्थापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988 द्वारा उक्त अधिनियम में पर्याप्त रूप से संशोधन करने के प्रयास किए गए थे। संसद द्वारा इसे विचारार्थ नहीं लिया गया और जब "एक नए औद्योगिक संबंध विधेयक हेतु विशिट प्रस्ताव तैयार करने" के संबंध में श्री जी. रामानुजम की अध्यक्षता में नियोजक संगठनों और केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के प्रतिनिधियों वाली एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई तब 1990 में इसे वापस ले लिया गया था। उक्त समिति ने 1990 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

रामानुजम समिति की सिफारिशों और तत्पश्चात, विभिन्न मंचों पर उनके संबंध में हुये विचार-विमर्शों के आधार पर, विधि मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन हेतु एक विधेयक तैयार किया गया। श्रम मंत्री ने उक्त विधेयक को संसद में पुर:स्थापित किए जाने हेतु 2.5.1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया। तथापि, इसे प्रस्तुत किए जाते ही अनेक सदस्यों ने प्रारम्भिक आपत्तियां कीं। अत्यधिक विचार-विमर्श के बाद, इस बात पर मतैक्य हो गया कि उक्त विधेयक को श्रम एवं कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के लिए संदर्भित कर दिया जाए।

श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में संशोधन विधेयक की जांच की, श्रम मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा अन्तत : 08.08.95 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत कर दी।

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 1994 में शामिल प्रस्तावों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में पुनः जांच की गई तथा संशोधन विधेयक में समुचित संशोधन किए गए। संक्षेप में संशोधित प्रस्ताव निम्नवत हैः-

किसी भी कामगार संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रतिठान अथवा उद्योग, जिससे वह जुड़ा है, में लगे अथवा नियोजित कामगारों के कम से कम 10 प्रतिशत अथवा 100, जो भी कम हो, पंजीकरण के लिये आवेदन करने की तारीख को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य न हों। किसी भी मामले में 7 सदस्यों की न्यूनतम नफरी वाले किसी भी संघ को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

कामगारों के पंजीकृत व्यवसाय संघ में कामगारों के 10 प्रतिशत अथवा 100 से कम सदस्य कभी भी नहीं होने चाहिए बशर्ते कि सदस्यों में से कम से कम 7 व्यक्ति उसी प्रतिठान अथवा उद्योग में लगे अथवा नियोजित होने चाहिए जिससे यह जुड़ा है।

पंजीकरण न किए जाने/पंजीकरण को पुनः बहाल करने के मामले में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के समक्ष अपील दायर किए जाने का प्रावधान किया गया है।

पदाधिकारियों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा पांच से अधिक नहीं, जो भी कम हो, को छोड़कर पंजीकृत व्यवसाय संघ में सभी पदाधिकारी वे व्यक्ति होंगे जो उस प्रतिठान अथवा उद्योग में वास्तविक रूप से लगे अथवा नियोजित होंगे जिससे उक्त संघ जुड़ा है।

व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंशदान की न्यूनतम दर को संशोधित करके ग्रामीण कामगारों के लिये एक रुपया प्रतिर्वा, अन्य असंगठित क्षेत्रों के लिये तीन रुपये प्रतिर्वा तथा अन्य सभी मामलों में 12 रुपये प्रतिर्वा किये जाने का प्रस्ताव है।

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 को राज्य सभा में 28.4.2000 को पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक 8.5.2000 को संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को 29.11.2000 को प्रस्तुत कर दी ।

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 राज्यसभा ने 2.8.2001 को पारित कर दिया।

मैं, सदन से उक्त विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Trade Unions Act, 1926, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

We have three hours allotted for the Bill. Shri Paban Singh Ghatowar.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Madam, I have moved an amendment.

MR. CHAIRMAN: Amendments will come when clause by clause consideration of the Bill is taken up.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): Madam Chairperson, the Trade Unions (Amendment) Bill, 2001 has travelled a very long way and taken a very long journey. As the hon. Minister has rightly said, the Trade Unions and Industrial Amendment Bill was introduced in Rajya Sabha in 1988 and the said Bill was withdrawn in 1990. Then, the Government had set up, for the first time, a bi-partite Committee under the chairmanship of late Shri G. Ramanujam, a veteran Trade Union leader, and this Committee was represented by the representatives of almost all the national centres of Trade Union and the representatives of the employer organisations. In their Report, they covered the entire gamut of the industrial relations including the Trade Union Act of 1926 and also the Industrial Disputes Act. They had given their Report in October, 1990. The Bill was presented by the then Labour Minister in Rajya Sabha again in 1994. At the introduction stage itself, the Bill was referred to the Departmentally-related Parliamentary Standing Committee on 9.6.1994 for a detailed examination. The Parliamentary Standing Committee on Labour and Welfare had examined this Amendment Bill and presented its Report in Lok Sabha on 8.8.1995.

The Trade Union movement of this country expected more from the Report of this Committee and desired that there should be a lot more to be done in the old Trade Union Act of 1926. But in this Bill, they have covered only five points. Section 4 of the principal Act deals with the registration of Trade Union of workmen, and said that it should be at least ten per cent or one hundred of the workmen. Earlier, it was seven workmen of an industrial establishment for registration. This Bill says that the number of workmen should be at least one hundred in order to register them as a Trade Union Organisation.

Section 6 of the principal Act stipulates as to what should be minimum subscription by members of the Trade Union, for rural workers and workers in the unorganised sector.

Section 9A, which is to be inserted in the principal Act, says:

> "A registered Trade Union of workmen shall at all times continue to have not less than ten per cent or one hundred of the workmen, whichever is less, subject to a minimum of seven, engaged or employed in an establishment or industry with which it is connected, as its members. "

I do not know how they will be able to examine this provision, 'at all times to continue'. Any time, the Registrar of Trade Unions can come and ask for the presence of ten per cent workmen, which is not practicable.

Section 11 of the principal amended Act provides for the registration appeal before the Tribunal and Labour Court.

Section 22 of the principal Act deals with the number of office bearers. Earlier, it was one-third and now they have limited it to five. I think, there has been a subsequent amendment that those who become the Minister or any other constitutional functionary cease to be the office bearer of the Trade Union.

I do believe that this Amendment Bill is an essential one because we are now in an era where total economic conditions are changing and where industrial climate has to change.

Unless we take the labour force into confidence, I do not think that will be possible. In the process of change, I think, a strong, an active and a representative Trade Union is very much needed. But with these amendments, the entire gamut of the changing situation is not over. I can say that these are minor amendments in one sense, you are limiting, putting more restriction on the right of the workers who were earlier entitled to have the registration of their Trade Unions with 7 members now it is 100.

Madam, in the interest of stable industrial relation, industrial peace and to evolve a mechanism for recognition of the Trade Union, this is very important. The matter of identifying their negotiating agent, I think, is one of the major issues in the Trade Union movement. That issue is not dealt in this Amendment Bill. I think, there are divergent views of the Central Trade Unions. Some Trade Union Centres say that the system of verification of membership should be adopted for verifying the representative character of the Trade Union. Some Trade Unions demand that

secret ballot should be there to verify the representative character of the Trade Union. I think this matter is pending for quite a long time. It may be pending for the last two or three decades. We could not solve this. I think this is one of the urgent areas. I definitely urge upon the hon. Labour Minister to look into it and have a meeting as soon as possible with the Trade Union Centres because many of the disputes in the Trade Union field come from the recognition of the Trade Union. If we do not finalise the method by which the representative character of the Trade Union is verified, I think, they will not solve the problem. This has to be done, as you rightly said, with the consensus of the Trade Unions. But only wishing them well will not solve our problem. I think an immediate action from your side to solve this problem is very necessary.

There are many other issues, which were dealt by the Ramanujam Committee, which were not brought into this Amendment Bill. We would like to see that the Government also formulates their policy on these amendments. I know the difficulty of the hon. Labour Minister because he has inherited these amendments, which he has brought before the House. But because of the fast changing economic situation in our country, I think, we have to take some immediate steps.

Madam, Chairperson, I would like to ask the NDA Government this question. What is their Labour Policy? Who will set the Labour Policy of the country? Is it the hon. Labour Minister or the hon. Finance Minister of this country who will set the Labour Policy of this country? Definitely, I would take this opportunity to highlight the apprehensions of the working class of this country. When he presented the Budget, a very disturbing statement came from the hon. Finance Minister. He had categorically said that he had requested the hon. Labour Minister to make amendments in the Contract Labour Act and also to make amendments in the Industrial Disputes Act. This will be a very dangerous step. I am sorry to mention this. What will be the impact of these amendments? Before coming here with these amendments, I request the hon. Labour Minister to see what will be the impact of these amendments.

Under Section 10 of the Contract Labour Act, after a great struggle, the working class has got the right to claim permanency in a perennial nature of work. If the worker is working in an organisation for one to five years, he has a right to approach the employer and become a permanent employee. They want to totally abolish Section 10 now. By doing this, they are going to allow the employers in this country to exploit the poor workers working in those establishments. I do not think, any Member of this House would be able to support this Bill if a person who works for ten years and more loses the right to ask for permanency in that organisation. I think, this is a very dangerous step. I definitely urge upon the hon. Minister of Labour not to venture into this.

Another amendment, about which the hon. Minister of Finance has mentioned, is more dangerous. It concerns the Industrial Disputes Act. This is regarding the Exit Policy of the Government. They have tried to introduce it. The hon. Minister of Finance said that the hon. Minister of Labour would bring an amendment as soon as possible. What was the amendment? They are giving the management the right to close down industrial units having a workforce up to 1,000 and retrench the labour in such establishments. Earlier, the limit was 100 and anybody who had to close down an industrial unit had to go to the respective Government, for permission whether it was a CPI(M) Government, a BJP Government or a Congress Government. They had to get permission from that Government to allow them to close down the industry and retrench workers. I think, it is very good for workers that no Government belonging to any political party has till now allowed any industrial unit in their respective States to be closed down.

I would like to refer to one of the surveys. *The Annual Survey of Industry, 1997-98* says that there are 1,35,551 registered industries. Now, with the amendment 90% would be out of the parameters of the Industrial Disputes Act. I have the figures with me. The number of registered factories is 1,35,551. Out of them, those with more than one thousand workers are only 1,120 and those with less than one thousand workers are about 1,34,000. These 1,34,000 units are not required to go to any Government to seek permission to close down the unit and retrench labourers. What is the position of employees in those registered factories? The total number of employees in the registered factories is 99,25,810 and in the case of factories with up to 1,000 workers, it is 74,82,470. So, 74,82,470 workers would be out of the purview of the Industrial Disputes Act. These are very dangerous amendments suggested by the hon. Minister of Finance. He has said in his Budget Speech that this measure would promote industrial investment in labour-intensive and export-oriented activity, providing for renewed industrial growth while, at the same time, safeguarding the interests of the workers. I am surprised how he is going to safeguard the interests of the workers and the contract labour. He said that his colleague, the Minister of Labour, would introduce the appropriate legislation to amend the Industrial Disputes Act and the Contract Labour Act within that Session.

Luckily those amendments have not come in the last Budget Session. The hon. Minister of Labour is a very prominent trade union leader in his own right and he has concern about the working class whom he used to represent before assuming the office of the Labour Minister here. Out of the total working class of this country only 18 per cent are in the organised sector. What about those remaining 82 per cent who are in the unorganised sector? Out of the total figure of working class of the country, that is 37 crore, 82 per cent of them are the

unorganised labour who include agricultural workers, contract labour, construction workers etc. What about their social security? What about the Agricultural Labour Act and the Contract Labour Act? We have to think of them.

Yesterday I was listening to the hon. Minister of Rural Development speaking during a discussion under Rule 193 on disinvestment. He has requested this House to look towards those people in the unorganised sector who live in the rural areas and he said we have to divert our attention towards them and we have given enough attention to others. He has requested the main focus should be towards the unorganised sector. I am requesting the hon. Minister of Labour to focus his attention towards this 82 per cent of the labour in the unorganised sector who live in the remote villages and in hilly areas. They are hardly in a position to earn their bread for morning and evening. I would request the hon. Minister of Labour to see that though we may allow fast economic changes in the country in the name of the liberalisation, globalisation and economic reforms etc. we have to see that the interests of those in the unorganised sector should be protected. They are the real India; they represent the real India. I think we have to think of them.

The hon. Minister of Labour has very rightly constituted the second Labour Commission. I think they are going round the country and taking evidence. When they are going round the country, they would definitely look towards this unorganised sector also and they would be coming with their recommendations. I think we should see that those are looked into.

I want to say that this is not that much an important amendment but there are many more things to be done for the working class. The hon. Minister has the experience of representing the working class. He knows the difficulty and agony of those in the unorganised sector. I am sure, he would definitely to bring a comprehensive labour legislation to protect our brothers who live in the remotest parts of the country and who represent the real India. I think with this comprehensive labour legislation we will be able to do a little bit of assistance to the working class of this country.

With these words I conclude.

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा मंत्री जी ने अभी बताया कि लम्बे विचार-विमर्श के बाद, श्रमिक संगठनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो व्यवसाय संघ अधिनियम है, उसकी लगभग 6-7 धाराओं में संशोधन का प्रावधान किया गया है। आप और हम सब इस बात से सहमत होंगे कि औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए, व्यवहारिक श्रम संगठनों को प्र ोत्साहित करने के लिए, देश और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कामगारों की भलाई के लिए पहले बोलिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : वह भी बोल रहा हूं।

श्रम संगठनों का व्यवस्थित और व्यावहारिक होना बहुत आवश्यक है। हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस देश में श्रमिकों के हित में श्रम संगठनों का महत्व है। देश की आजादी के पहले से और देश की आजादी के बाद बहुत सारे श्रम संगठनों ने देशहित और उद्योग हित को सर्वोपरि मानकर अपने श्रम संगठन चलाये। लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे रहे हैं, जिन्होंने केवल अपना ही हित देखा है, उद्योगों का, देश का हित नहीं देखा। आज जो हम इस देश का वातावरण देख रहे हैं, औद्योगिक मंदी है, श्रमिक असंतोा है, इन सब बातों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के और भिन्न-भिन्न नीतियों से काम करने वाले श्रम संगठनों का सहयोग रहा है, वे उसमें भागीदार रहे हैं।

यह जो संशोधन लाया गया है, यह श्रमिक संगठनों के हित में है और जो वास्तव में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके अत्यधिक हित में है। अभी तक कई श्रम संगठन ऐसे थे जो इस व्यवसाय संघ में प्रावधान नहीं होने के कारण सम्बन्धित उद्योग में नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते, उनका उससे कोई लेना-देना नहीं है, वे राजनीति में काम करते हैं या अन्यान्य क्षेत्रों में नेतागिरी करते हैं, इस प्रकार के लोगों ने श्रम संगठन बना लिए और वे अपना हितसाधन करने के लिए ट्रेड यूनियन, जो उन्होंने गठित की है, उसका लाभ अपने स्वार्थ में, अपने हित में करते रहे और श्रमिकों का हित नहीं देखा। इतना ही नहीं, जो वास्तविक श्रमिक जिस संस्थान का काम करते हैं, उनकी समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और भिन्न-भिन्न प्रकार से अवैधानिक तरीके से आन्दोलनात्मक कदम उठाते रहे। उससे वास्तव में उन श्रम संगठनों और श्रमिकों को तो हानि हुई ही, उद्योग को भी साथ में हानि हुई और कुछ लोग इस कानून का या इस योजना का दुरुपयोग करते रहे। इसमें जो संशोधन किया गया है, वह धारा पांच में ऐसा संशोधन है कि पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति मिलकर सात या सात से अधिक पदाधिकारी बन जाते थे और पंजीयन कराने के लिए रजिस्ट्रार के यहां आवेदन कर देते थे और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। उनका वास्तविक श्रमिकों से और श्रमिक समस्याओं से उनका कोई लेना-देना नहीं था। इसमें संशोधन करके इस सरकार ने और श्रम मंत्री जी ने प्रावधान कर दिया है कि अब जो भी पदाधिकारी होंगे, वे उस संस्थान में काम करने वाले श्रमिक ही हो सकेंगे और उनकी संख्या निर्धारित कर दी। अब उस श्रम संगठन का पंजीयन करने के लिए मिनिमम सदस्य संख्या भी निर्धारित कर दी, पहले कोई निर्धारित संख्या नहीं होती थी। सात लोगों ने मिलकर पदाधिकारी बना लिये, विधान बना लिया और पंजीकृत करने के लिए आवेदन कर दिया। अब यह कड़ाई होने से निश्चित रूप से जो उस उद्योग में काम करने वाले लोग ही पदाधिकारी बन पाएंगे, वही उस श्रम संगठन के वास्तविक हकदार होंगे और उनमें उनका प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसलिए वे वास्तविक समस्याओं को और औद्योगिक हित को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्याओं का निदान कर पाएंगे।

धारा छः में भी संशोधन किया गया है। पहले जो सदस्यता शुल्क होता था, उसके सम्बन्ध में संशोधन किया गया है। पहले केवल 25 पैसे वार्िक सदस्यता शुल्क होता था तो कोई भी 5-7 लोग मिलकर 25-25 पैसे के हिसाब से 7, 10 या 15 फर्जी सदस्य बनाकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर देते थे। अब इस शुल्क में भी वृद्धि की गई है। शुल्क में जो वृद्धि की गई है, उसमें एक रुपये से लेकर 12 रुपये तक है, जो श्रम संगठन अपने विधान में इसका प्रावधान जिस प्रकार से करेगा, वह इस पर लागू हो जायेगा। पहले एक बात और होती थी, पहले जो श्रम संगठन बन जाते थे, वे पदाधिकारी की नियुक्ति कर लेते थे, लेकिन इसमें सीधे-सीधे साधारण सदस्य सम्मेलन में पदाधिकारियों का चयन करेंगे। नियुक्ति करने और चयन करने में भी बहुत अन्तर रहता है। पहले पांच सात लोग मिलकर पदाधिकारी बन जाते थे और एक दूसरे की नियुक्ति कर लेते थे, लेकिन अब जो वास्तविक श्रमिक हैं, वे सब मिलकर उनका चुनाव करेंगे। निश्चित रूप से इसके कारण प्रजातंत्र भी मजबूत होगा, श्रम क्षेत्र में वास्तविक लोग आएंगे, जिनको श्रमिक पसन्द करते हैं, वही श्रम संगठनों पर काबिज हो सकेंगे, फर्जी लोग नहीं हो सकेंगे।

इसके साथ ही साथ न्यायालय के जो अधिकार थे, जैसे रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी या ट्रेड यूनियन एक्ट में किसी प्रकार की समस्या आ गई तो पहले केवल हाई कोर्ट में जाने का प्रावधान था। हम सब जानते हैं कि देश के हाई कोर्टों में लाखों केस लम्बित पड़े हैं। कोर्ट को सुनवाई का समय नहीं मिलता और इस प्रकार के केस तो कई वाँ से लम्बित पड़े रहते हैं। अब श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय को भी इस दायरे में लाया जा रहा है। किसी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कोई विवाद है तो श्रम न्यायालय और इंडस्ट्रियल कोर्ट में वे जा सकेंगे। इससे शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सकेगा, यह भी बात इस विधेयक में परिलक्षित होती है।

असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब धारा 22 (1) में संशोधन किया गया है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, श्रम संगठनों में उनका भी अधिकतम् प्रतिनिधित्व होगा। मैं समझता हूं कि इससे उनको भी इन संगठनों का लाभ मिल सकेगा।

धारा 29 में भी संशोधन किया गया है। उसके अनुसार जो यह एक्ट बन रहा है, इसके बाद, इसकी मंशा के अनुसार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। पहले वह नियम संसद या सम्बन्धित विधान मंडलों में बन जाते थे, लेकिन उसकी जानकारी देना शायद आवश्यक नहीं था। लेकिन अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर सरकार कोई नियम बनाएगी तो उसकी एक-एक प्रति संसद में और राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत की जाएगी। उन प्रतियों पर या उन नियमों पर संसद को या विधान मंडलों को बहस करके निर्णय करने का अधिकार होगा। अगर कोई नियम सही नहीं बनाया गया है, श्रमिकों के विरोध में है, उनका हित संरक्षित नहीं होता है, तो संसद को यह अधिकार होगा कि उस नियम को निरस्त कर सके। इसीके साथ राज्य विधान मंडल को भी यह अधिकार होगा कि इस तरह के नियम को वह निरस्त कर सके।

हम यह महसूस कर रहे हैं कि जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है, यह श्रम संगठनों के हित में है। इससे औद्योगिक हित में भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। वैसे तो सरकार ने श्रम कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक श्रम आयोग का गठन किया है। उस आयोग ने पिछले डेढ़ वाँ से काम प्रारम्भ कर दिया है। मैं महसूस करता हूं जैसा अभी पबन सिंह घाटोवर जी कह रहे थे, औद्योगिक विवाद संघ के अंतर्गत जो प्रावधान है, उसमें जो उन्होंने जानकारी दी, मैं भी उसमें अपना थोड़ा योगदान देना चाहता हूं। एक हजार से अधिक जहां श्रमिक काम करते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को बंद करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन वह नहीं दिया गया है, छंटनी का अधिकार दे दिया गया है। जहां एक हजार से कम श्रमिक हैं, वहां मिल-मालिक चाहे तो श्रमिकों की अपनी इच्छानुसार छंटनी कर सकेगा। देश की जनता को और श्रमिकों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि अगर कोई मिल मालिक छंटनी करेगा तो पहले जहां उस मजदूर की जितने साल की सर्विस हो, एक साल पर 15 दिन का वेतन उसे देना पड़ता था, अब उसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। उसका लाभ यह होगा कि छंटनी करने से पहले अब मिल मालिक को कई बार सोचना पड़ेगा। मैं भी पहले ट्रेड यूनियन में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था और वहां से निकाल दिया गया था। मैंने 15 साल नौकरी की तो मुझे प्रति वाँ में 15 दिन के हिसाब से करीब साढ़े सात महीने का वेतन मिला, लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो करीब 21 माह का वेतन मिलेगा। अगर किसी श्रमिक को यह वेतन देना पड़ेगा तो मिल-मालिक एक बार नहीं दस बार सोचेगा कि छंटनी करूं या न करूं।

इस आधार पर मै कह सकता हूं कि सरकार ने श्रमिकों के हित में कानून बनाया है। श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए विचार किया है और जो इस प्रकार की आलोचना करते हैं, उन्हंने तो इस देश में श्रमिक संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, क्षेत्र की राट्रीयकरण की मांग करते-करते इस देश में औद्योगिक मंदी का उन्होंने वातावरण बना दिया। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे और हम दोनों ही एक ही भारतीय मजदूर संघ में काम करते रहे हैं और मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे सांसद तो वे हैं। मैं इनके क्षेत्र मे ही रहता हूं। मैं अन्यत्र क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं और मेरे अग्रज वे हैं। भारतीय मजूदर संघ में मैंने और इन्होंने काम किया है और यही एकमात्र ऐसी संस्था है और मैं कहूंगा कि इनके विचारों को इस देश में लागू किया जाना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए अर्थात् उद्योगों में प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रबन्धन में भागीदारी नहीं होने के कारण मैनेजमेंट मनमर्जी तरीके से निर्णय ले लेता है। मजदूर पसीना बहाता है, मालिक पैसा लगाता है। एक का पसीना और दूसरे की पूंजी लगती है तब दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं और जो उत्पादन होता है तो उसका लाभ दोनों को मिलता है। इसलिए औद्योगिक व्यवस्था में प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। उद्योगों का राट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में श्रमिकों का राट्रीयकरण करो और श्रमिकों का राट्रीयकरण करने से मेरा आशय यह है श्रमिक देशभक्त होने चाहिए। अगर श्रमिक देशभक्त होंगे तो उद्योगों का भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। देश का औद्योगीकरण होना चाहिए। जहां अगर ये तीन बातें लागू हो गईं तो इस देश में अमन चैन का वातावरण होगा और न श्रमिक दुखी होगा और न देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी। इस दिशा में सरकार अग्रसर हो रही है। सरकार ने जो श्रम आयोग बनाया है, श्रम आयोग में जो भी निर्णय लिये जाएं और जो भी कानून बनें, उनमें इन सब बातों का समावेश किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि जिस उद्देश्य से श्रम आयोग बना है, उसकी जब सिफारिशें आएंगी तो उन सब को लागू करने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश हित में और कानून बनाये जा सकते हैं। मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, Chairperson, I did not expect that Shri Satyanarayan Jatiya, the hon. Labour Minister will bring in an anti-working class Bill. He has said that the amendments to this Bill are brought in keeping with the recommendations made by G. Ramanujam Committee. This Committee was constituted in the year 1990 and this Committee was unanimous on all the recommendations. But there are a number of dissenting notes and I have gone through those dissenting notes. This Committee made a number of recommendations but the hon. Minister has selected only one out of those recommendations to amend the existing Trade Unions Act. Why have the other recommendations not been implemented?

Madam, this Committee recommended labour participation in management. A Bill to this effect was introduced in the year 1990 but that is still pending. Nothing has been done in that regard. The Ramanujam Committee recommended that there should be meaningful labour participation in management. The Bill brought in by the hon. Minister would only help the foreign companies and multinationals to grab our industries because this amending Bill is meant to amend certain existing labour laws that would help the multinational companies in the post-liberalised era. How could the hon. Minister do this?

This Committee made recommendations on the Industrial Relations Act also but the Minister has not brought any legislation to amend that Act. There has been a long-pending demand that recognition of unions should be done through secret ballot. The main thrust of the Bill is, 'to reduce multiplicity of trade unions, to promote internal democracy and rank and file leadership of the trade unions, facilitating their orderly growth and regulation.' The Government wants to discipline the workers. What about disciplining the employer? By bringing this amendment the Minister wants to reduce the multiplicity of trade unions. That is the reason why he is restricting the number to 10 per cent or 100. How can these signatures be verified? All these 100 workmen are required to be paraded before the Registration Officer. Is it possible to bring all of them there? Why is the Minister imposing these restrictions? If

he wants to reduce the multiplicity of unions, he should bring a Bill saying that recognition should be given through secret ballot.

What is the reason for this multiplicity of unions? I have the experience of trade unions. It is the management which encourages multiplicity of unions. It is the management which encourages rivalry among unions. If there is one union, that union will have more bargaining power. In order to reduce the bargaining power of the union, the management always tries to have more than one union. Multiplicity of unions cannot be removed by imposing restrictions. The unions should be able to decide as to what should be the subscription. The Government is now fixing the subscription. The unions should be able to decide as to what will be the number of office bearers. The Government is putting a restriction on the number of office bearers.

The recommendation says:

> "There has been considerable discussion about the procedure in trade unions. It is the right of the workers to choose their leaders. That should remain unfettered."

To choose their leader is a right of the workers. The Government is imposing restriction on their right. What will be the number of outsiders?

Madam, what are we experiencing nowadays? We have been demanding change in the existing Contract Labour (Abolition and Regulation) Act which was enacted in 1970. There are loopholes. That is why that Act is being violated by the employers.

While presenting his Budget, the hon. Finance Minister had made a proposal that there would be a change in both the Central Act of 1948 as well as the Contract Labour (Abolition and Regulation) Act of 1970. It is necessary. Even the hon. Commerce Minister had stated on the floor of the House that the Foreign Direct Investment (FDI) is not coming to India because of our labour laws, and these laws are to be scrapped. It is said not only to amend but to delete the Contract Labour (Abolition and Regulation) Act. Then, what will happen to the contract labours? What will happen to the workers who are permanently engaged?

Madam, the multinational companies do not want to employ any permanent labour. They want to employ only the contract labours so that they can exploit them. By exploiting them they want to earn more profits. It is very unfortunate that the Labour Minister is surrendering to the wishes of the multinational companies.

Madam, that Act was enacted after much deliberations. There was a Joint Select Committee formed which had discussed at length with all labour organisations and employees' organisations. They all recommended to enact it. Then the Act was enacted and there was a provision that in certain areas where there is a perennial nature of jobs, this contract system should be abolished and the workers who are engaged as contract labours in those areas should be absorbed as the permanent labours.

Here, what will happen to these contract workers who have been working for years together? It seems that their main purpose is such that the employers will not have to pay the retirement benefits and the workers will not demand for their wages revision. They will have to work with minimum wages. Does the hon. Labour Minister really want that our labours should be converted into slaves? Madam, the slavery system is being introduced by amending or rather by deleting the Contract Labour (Abolition and Regulations) Act.

Madam, Section 10 of the Industrial Relations Act of 1945 is being amended. Why? During his speech, Shri Gehlot was saying that he was a worker and then he was retrenched at one point of time. Now, he is associated with the *Bhartiya Mazdoor Sangh* and he is supporting it whole-heartedly that the multinational companies should have the right not only to retrench but also close down the undertakings. रिट्रेंच नहीं, नौकरी से हटाना नहीं, कारखाने को बंद करने का अधिकार वे लोग चाहते हैं।

What was the demand of the workers? It was about revision in the incentive scheme. There is a standing order and that standing order should be abided by both the Management and the workmen. We want that there should be some change in the standing order. Though they have this standing order, the workers were asked to give individual undertaking. Unless workers give individual undertaking, they will not be allowed to enter the factory. The Labour Minister is helpless and the Heavy Industries Minister is also helpless. I was surprised when I was told that the Government of India has no power to issue directions to the Management of Maruti Udyog Limited.

There was an agreement − he was also there in the Chamber of the hon. Speaker; all the representatives of the political parties were there − that they would withdraw the practice of victimisation, and the workmen also will not insist on revision of new incentive scheme. They accepted it; the workers agreed to it in writing; but the Management refused to honour the agreement which was signed in the Chamber of the hon. Speaker. Then the workers ended their *dharna* which continued for one month in the winter of December 2000 under the sky in front of

Udyog Bhavan. When they entered the company to join duty, the Management did not withdraw the practice of victimisation and again they started victimising workers. This is happening in an undertaking where the Government of India has 50 per cent share. So, this multinational company wants that the existing Labour Laws are scrapped, and that they should be given freedom to exploit workers. They also want to earn profit and to take it to their own country.

That is why, the Finance Minister has announced that two pieces of legislation will be brought before the House. We have also decided to oppose those pieces of legislation tooth and nail.

I have with me, a report of ILO. A canker is spread against the workers saying that they are indulging in strikes and that they are all indisciplined. Employees are all disciplined. FDI worth billions of dollars is coming only for that purpose. China is attracting 40 billion dollars due to labour force.

MR. CHAIRMAN : You have to start winding up.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will finish. This is a very important Bill.

MR. CHAIRMAN: I know that. But the time allotted for your Party is over.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The wage cost, on an average, has gone up to five per cent between 1991 and now, and the labour cost has come down to 50 per cent during the same period. They have given the statistics. The total man-days lost between 1991 and today on account of lockout is 135; and the ratio between strike and lockout which was 1:1 in 1991 has gone up to 1:4 today. That means, whenever there is one strike, there are four lockouts. Industries are being closed down and workers are getting retrenched. Workers' interests are not being protected. Even the retired workers and retiring workers are not getting their statutory dues like PF, pension, gratuity, etc.

15.00 hrs.

Dr. Satyanarayan Jatiya said that it requires more than Rs.2,000 crore. He told me this three months back. Today it would have increased to, maybe, Rs.2,200 crore or Rs.2,300 crore. It is not less. I know that workers are not getting their salaries also.

We want a comprehensive legislation to protect the interests of workers. We want the legislation or the Bill which was introduced in this very House in 1990, which is Workers' Participation in Management Bill. That should be brought forward here and it should be passed.

MR. CHAIRMAN : Shri Acharia, you must wind up please.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Recognition through secret ballot should be there. If you bring forward such an enactment or a Bill, then multiplicity of unions can be reduced. The Government has to bring in such Bills. It should not scrap enactment, but it should repeal the Contract Labour (Abolition and Regulation) Act. It can bring forward an amending Bill to remove the loopholes that are there in the existing Act.

Madam, this is a dangerous Bill. This is an anti-working class Bill. This Bill has been brought forward to protect the interests of only the multinational company. I oppose this Bill.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL (BULDANA): Mr. Chairman, Sir, first of all, I congratulate the hon. Labour Minister. I also support the Bill with some suggestions.

My first suggestion is that in clause 4, there is an amendment which says:

> "(hh) the duration of period being not more than three years, for which the members of the executive and other office-bearers of the Trade Union shall be elected."

I would like to bring this to the notice of the hon. Minister that in our country, right from *Gram Panchayats* up to Parliament, elections are held for five years. Here, in the amendment, the Government has made it as three years, which would be the duration of the Executive Council.

श्री थावरचन्द गेहलोत : आचार्य जी, कार्य संचालन नियमों में है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के तत्काल बाद नहीं जाएगा। आप पैनल ऑफ चैयरमैन हैं इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आ रहा हूं।

SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL : My sincere request to the hon. Minister is that he should follow the same thing, which is followed in the case of elections to bodies right from *Gram Panchayats* up to Parliament.

Secondly, whenever we work in the field, we are facing a lot of problems relating to definition of workmen. That is our experience. So, clarity of definition is very much essential. We have to go to the court of law many times, whenever we face those problems.

Thirdly, our national policy is to have participation of workers in the management. But unfortunately, it is not followed practically in various industries. It should be brought in, in the Trade Unions Act.

It should be mandatory for all corporations, as also for all cooperative institutions and other private sector institutions. Effective participation of workers in the management is very much essential.

With these few suggestions, I support the Bill.

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : सभापति महोदय, श्रम मंत्री द्वारा व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन लाये गये हैं। इस एक्ट को अवलोकन करने के बाद स्पट दिखाई देता है कि यह संशोधन प्रथम दृट्या में मजदूरों के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैसा इसको रंग देने का प्रयास किया गया है, यह संशोधन मजदूरों के हित के लिये है। मेरा यह भी कहना है कि यह संतुलित भी नहीं है। देश की जनता वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा करती है कि जब भी यह कोई चोट पहुंचायेगी तो देश के गरीब मजदूरों को पहुंचायेगी। इस सरकार का पूंजीपतियों का पक्ष लेना इस दल की सरकार का वर्षों से चरित्र रहा है।

सभापति महोदय, कई दिनों से भू-मंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन- ये चार-पांच शब्द ऐसे चले हैं जिसके तहत मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि यह देश इसलिये भटक रहा है कि किस रास्ते चले। क्योंकि कभी डिसइन्वैस्टमेंट की बात करते हैं, कभी ब्रेक दे देते हैं लेकिन आज के विधेयक का विाय मजदूरों से जुड़ा हुआ है। जब सदन में कोई प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, तब सरकार की तरफ से यह जवाब नहीं आता कि मजदूरों ने कोई कमी की है, बाजार में इनके कारण मंदी आ गई है या आर्थिक मंदी चल रही है। लेकिन जब यहां बहस होती है तो कहा जाता है कि जब उद्योग नहीं चल रहे होते हैं तब उसका कारण बताया जाता है कि मजदूर सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी स्वयं मजदूरों के नेता रहे हैं। हम जानते हैं कि उनकी ये भावनायें मरने वाली नहीं चाहे वे मंत्री ही क्यों न हो जायें। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया है तो पूंजीपतियों की स्थिति भी जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि व्यवसाय संघ में रजिस्ट्रेशन के लिये किन्ही सात मजदूरों को इकट्ठा कर लेने में कितनी दिक्कतें आती है। सारा देश जानता है कि जब श्रमिक इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो पूंजीपति उनका किस तरह से दमन करते हैं। हम अखबारों में पढ़ते आये है कि हत्यायें होती हैं, मजदूर मारे जाते हैं, संगठनों का निर्माण नहीं हो पाता, गठन नहीं हो पाता। माननीय मंत्री जी ने सैक्शन-4 के अंतर्गत जो संशोधन प्र ास्तुत किया है, उसमें यह शर्त रखी है :

> "Provided that no trade union of workmen shall be registered unless at least ten per cent, or one hundred of the workmen, whichever is less, engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected, are the members of such trade union on the date of making of application for registration: "

यह अमेन्डमैंट आपने प्रस्तावित किया है । मेरा निवेदन है कि कई घटनाए इस देश में इस तरह की हुई हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सात मजदूर इकट्ठे न हो सके, आप यहां सौ की बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि रामानुजम कमेटी के द्वारा ऐसा रिकमेंड किया गया है, यह सही है कि उस कमेटी के द्वारा रिकमेंड हुआ है, लेकिन इस पर आप भी थोड़ा विचार करिये । जहां सात मजदूर इकट्ठा होना मुश्किल थे, वहां सौ आदमी इकट्ठे कर पाना क्या संभव है और पूंजीपतियों के हाथ क्या इतने कमजोर हैं कि सौ लोग एकदम इकट्ठे हो जायेंगे । इसके साथ आपने एक बात और कही है कि हर वक्त सौ रहने चाहिए, 100 से 99 नहीं होने चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैन्सिल हो जायेगा। मेरा ख्याल है कि इस सैक्शन में अमेंडमैन्ट करते समय आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी उद्योग में अगर कोई कैजुअल्टी हो जाए और सौ में से पांच आदमियों का देहान्त हो जाए, तब क्या होगा। इसके लिए आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, ऐसे में उद्योगपति तुरंत जाकर आ वेदन पत्र दे देंगे कि इस यूनियन को अनरजिस्टर्ड किया जाए, तब क्या स्थिति बनेगी । इन स्थितियों के लिए आपने इसमें कोई स्पटीकरण नहीं दिया है । मेरी आपसे मांग है कि आप इस स्थिति को भी स्पट करें । अगर ऐसी कोई कन्टीजेन्सी की स्थिति अराइज होती है तो मजदूरों के पक्ष में क्या स्थिति बनेगी या किस तरह से मजदूर अपने आपको प्रोटेक्ट कर पायेंगे, इसके लिए भी आपको कोई क्लाज या अमेन्डमैंन्ट एड करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सौ आदमी बने रहें, आपने कहा है -

> "9A. A registered trade union of workmen shall at all times continue to have not less than ten per cent, or one hundred of the workmen, whichever is less, subject to a minimum of seven, engaged or employed in an establishment or industry with which it is connected, as its members,"

यह सैक्शन-नौ में आपने अमैन्डमैन्ट किया है । अब इसमें क्या स्थिति आयेगी कि एक आदमी का भी देहान्त हो गया, उसका उद्योग वाले लाभ ले लेंगे, कहेंगे कि अब ये 99 रह गये हैं, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल होना चाहिए । इसलिए आप इसमें कुछ अवधि दीजिए ।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा कहना है कि जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि सौ आदमियों की मैम्बरशिप आवश्यक है, सात में दिक्कत होती थी, उसे आपने सौ कर दिया, चलिये हमने यह भी मान लिया। लेकिन उन्हें कुछ प्रोटेक्शन दे दीजिए और अमेन्डमैंट कीजिए कि एक साल या दो साल तक उन लोगों को विरुद्ध कोई सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगा । कोई अदालत या आपकी कोई समिति जब तक कुछ फैसला न दे दे, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो । इस तरह से वे अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकेंगे और संगठन का निर्माण भी हो सकेगा । तब वे बाहर आ सकेंगे और उद्योगपतियों से लड़ने की स्थिति में खड़े होंगें । अन्यथा मजदूर खड़े होने वाले नहीं हैं । सौ आदमी इकट्ठे होना बहुत ही मुश्किल हैं। इससे मजदूरों की आवाज दबेगी ।

सभापति महोदय, यह कानून आजादी के पहले 1926 का है, जब हम गुलाम थे । तब मजदूरों को संगठित करने का कानून बना था । उनकी आवाज को इस देश में मजबूत करने का कानून बना था । आज आप उनकी आवाज को यदि दबाना नहीं चाहते । तो उनकी आवाज को एक दूसरी दिशा देना जरूर चाह रहे हैं । मेरा कहना

है कि आप उनके प्रोटेक्शन के बारे में सोचिये । यह सोचिये कि शुरू में जब सौ आदमी होंगें तो उन्हें एक-दो साल के लिए कोई न कोई प्रोटेक्शन दी जाए जिससे उनके खिलाफ कोई दुर्भावना से सख्त कार्रवाई न सके ।

सभापति महोदय, अभी यहां से गेहलोत जी चले गये, वह कह रहे थे कि आज देशभक्त मजदूरों की आवश्यकता है। संभवत: वह यह कहने से पहले भूल गये कि इस देश की आजादी में मजदूरों की अहम् भूमिका रही है ।

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी, इस देश के महान् नेता स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी का नाम इस देश के सभी लोग जानते हैं। बंबई में जब उनके ऊपर लाठी से प्रहार अंग्रेजों ने किया था तो बंबई के इन्हीं मजदूरों ने चार दिन तक पूरा बंबई ठप्प कर दिया था और आजादी की लड़ाई के साथ खड़े हुए थे। इन संगठनों को तोड़ा जाए, इनको खराब किया जाए, इनकी शक्ति को खराब किया जाए। आज विकास की अगर कोई नींव है तो हमारे देश का मजदूर है लेकिन कितना परसेंट हमारे देश का मजदूर संगठित है? अगर हमारे पास 30-35करोड़ मजदूर हैं तो बामुश्किल दो करोड़ मजदूर संगठित हैं। बाकी का कोई संगठन नहीं है, वे तो अत्याचार सह रहे हैं। दो करोड़ मजदूर भी संगठित न रहें, ऐसा अवसर आप प्रदान न करें, उनको संगठित करने का प्रयास करें, क्योंकि भविय में जब कभी इस देश को आवश्यकता पड़ेगी तो संगठन देश के काम भी आएगा।

रामानुजम कमेटी रिपोर्ट की सिफारिश आपने इस बिल में शामिल की है और इसका उद्देश्य और कारणों में उल्लेख भी किया है। आपने बताया है कि हम आंतरिक लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं, संघों को नेतृत्व में सुधार देना चाहते हैं। आपने उसमें ऐसी व्यवस्था की है कि कोई लाभ का पद जिसने ग्रहण कर लिया है, वह उन यूनियनों का अध्यक्ष नहीं रहेगा। बाहर के लोगों की संख्या को उसमें कम किया है। बहरहाल इसमें ज्यादा एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा इतना ज़रूर कहना है कि कई बार इन अनपढ़ मजदूर संगठन यूनियनों को बाहर से भी विचारों को लेने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि दूसरे पढ़े-लिखे लोग, बुद्धिजीवी, इनको कोई राय दें, संगठन को लीड करें, ऐसी आवश्यकता इनको पड़ती है। हमें अगर कोई संशोधन करना है तो हमारी टीम अमेरिका चली जाएगी, घूम आएंगे, वहां की व्यवस्था को देख आएंगे, लिबरलाइज़ेशन को देखने जाएंगे और फिर यहां बहस करेंगे कि चीन में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है और मजदूर अगर बाहर से बुद्धि लेना चाहें, किसी आदमी से राय लेना चाहें तो उनकी संख्या घटाने की बात कर रहे हैं। कोई नेतृत्व लेना चाहे तो उनकी संख्या घटाने की बात कर रहे हैं। इस पर भी विचार किया जाए। मेरा कहना है कि जो संशोधन आपके द्वारा लाया गया है, उसमें संतुलन करने की आवश्यकता है। मजदूरों को भी प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है।

हमें मालूम है कि हमारे उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, संघ की आवश्यकता है, शांति की भी आवश्यकता है और हमारे देश की भी आवश्यकता है। उस आवश्यकता का सारा देश अहसास कर रहा है। हम चाहते हैं कि मजदूर भी अनुशासित रहें, लेकिन अनुशासन के नाम पर उनकी आवाज़ को दबाया न जाए। हमारी यही अपेक्षा है माननीय मंत्री जी से कि आप अपनी पार्टियों के विचारों को अलग रख दीजिए। आप खूब मदद कीजिए इस देश के पूंजीपतियों की लेकिन इन मजदूरों की कीमत पर नहीं। मुझे मालूम है और सारा देश जान रहा है कि डिसइनवैस्टमेंट की बात जो चली है, उससे एक अच्छा अवसर आपको मिल गया है और सारे देश में धड़ाधड़, साल दो साल में, चाहे अमेरिका वाले मिलें या पाकिस्तान वाले मिलें, उनको सौंपने की तैयारी आपके द्वारा हो गई है। गेहलोत जी चले गए। वे पूंजीपतियों की भी बात कर लेंगे, मजदूरों की भी बात कर लेंगे। दोनों तरफ आप बात करना जानते हैं। आप पाकिस्तान और भारत की बात भी कर लेंगे। एक तरफ कहेंगे कि हम पड़ोसी देशों से शांति चाहते हैं और जब क्रिकेट खेलने की बात आएगी तो आप हमारे देश के खिलाड़ियों को खेलने नहीं जाने देंगे। यही रुकावट है। इसे तो संबंधित मंत्री जी देखेंगे।

मेरा अंत में यही कहना है कि आप एक संतुलित बिल लाइए जिसमें मजदूरों के हितों का संरक्षण हो सके और हमारे उद्योग भी चल सकें और उनका भी विकास हो सके।

*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Hon'ble Chairperson, India is restructuring its economy to keep in tune with the developed countries through the process of economic liberalisation and globalisation. While welcoming it we cannot wish away the fact that the working class would get affected. At a time when they are to be hit hard by computerisation, Government has introduced this Bill to amend the Trade Unions Act and I welcome the same on behalf of my party Dravida Munnetra Kazhagam which upholds the cause of the labour class. It is a relief at a time when downsizing and closures seek to affect the working class. Seventy five years after the enactment of the Trade Unions Act, we are now bringing an amendment to ensure the welfare of the working class and to bring about industrial peace. I welcome the move and support.

The Bill authorises the Trade Unions to collect subscription from its members and it would be a democratic move to leave it with the Trade Unions the subscription amount they would be charging from their members.

The Bill brings about an outer limit to the number of outsiders who could be made members of a trade union. It has been fixed to be fifty percent. I welcome this.

The Bill also emphasises the need to elect office bearers rather than appointing them. The Bill also provides for the tenure of three years. I for one would feel that it would be better to bring it down to 2 years. It would ensure democracy within trade unions. As such many of the trade unions are holding elections once in two years. They must be allowed to continue the same way. In Tamil Nadu, our leader Dr Kalaignar, the four time Chief Minister of Tamil Nadu, when he was in power till last year, had set up two separate boards for the welfare of both the agricultural workers and labourers in the unorganised sector. Through his move, the labour class would now get Rs 1 lakh as compensation when they die of accident. The insurance scheme also provides for a compensation upto Rs 1 lakh even for those agricultural labourers who are injured or left invalid as handicapped due to accidents. Two children from each such workers' family would get scholarships to study upto post-graduate level.

Governments may change. But schemes aimed at benefiting the public introduced during one regime must not be withdrawn during the tenure of the other. Such model welfare schemes must be introduced throughout the country. I urge upon the Hon. Minister for Labour Welfare to take up such welfare measures.

At this juncture, I would like to bring to the notice of this august House the concern our Prime Minister has got for the labour class of this country. He believes in improving their standard of life gradually. That is why he has

impressed upon the developed countries not to press for labour standard now and take it up for discussion in the ensuing round of talks in World Trade Organisation. He has also urged upon the rich nations not to put restrictions on the developing countries that would affect the interests of the labour class ultimately. He has stated that we must have space and time to strengthen and stabilise our economy first. He has stated that labour standards can be improved upon step by step as a follow up step. I appreciate the Prime Minister for his bold stand to warn the developed world who unnecessarily urge us to give priority to labour standard which in fact would be detrimental in the absence of a sound economic base. He believes in improving our economy to ensure labour welfare. I welcome his observation made recently at Vigyan Bhawan in a meeting on WTO. He had stated that labour welfare and labour standard must be left with the respective countries. We welcome this reiteration based on initiative with a vision. While condemning the criticism levelled by the developed countries about the labour standards, our Government has its own method to ensure a better forum for the labour class. We see it reflected in this Bill. The balanced concern of the Government is evident.

Hence I welcome and support this Bill which seeks to protect the interests and rights of the working class resulting in their welfare.

*English translation of Speech originally delivered in Tamil.

*SHRI C. SREENIVASAN (DINDIGUL): Madam Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity.

Madam, the Trade Unions (Amendment) Bill, 2001, introduced in this House, seeks to prescribe the lower limit of the number of members required to register a trade union. The Bill states that the registration of that trade union could be cancelled if the minimum number gets reduced.

I would like to express my serious apprehension that clause 2 and clause 6 of the Bill put together may become handy and help those who may seek to wind up a trade union. Anyone with a humanitarian consideration and humane approach would get this apprehension. To wipe out that fear is the duty of a Government.

A registered trade union fighting for getting certain benefits and rights for workers must not be deregistered and wound up. Even if there are two members the trade union once registered must continue. At best you can ask them not to take up new issues but you cannot deny solution to pending issues they fight for.

The Trade Union Act is there only to provide for the collective bargaining of individual workers. The miseries and sufferings of every single labourer must be addressed to. We must ensure that we wipe out their tears.

15.26 hours (Mr. Speaker *in the Chair*)

The Trade Union Act of 1926, enacted during the British regime, is amended often in the independent India. I strongly feel that this Government ought to have brought a comprehensive legislation taking into consideration the changes of the modern times especially in the context of liberalisation and globalisation of our economy. The time has come to a pass now. It has led to a phase of take- over of establishments and pruning of staff in business and even reducing work- hands in shop floors. This has become an era of closures and loss of jobs. The dis-investment ventures of the Government have resulted in the winding up industrial

units. It appears that Government considers it a duty to close unit after unit in the

public sector.

While framing labour laws and legislating for trade unions, the Government must not shy away from reality and must have a pragmatic approach. The Government must ensure that labour class is not affected in anyway.

When Government takes upon itself to suggest to the trade unions the subscription they can collect from their working class members, the Government must also come forward to ensure the welfare of the labour class by way of contributing its bit or by way of setting up welfare funds for the workers both in the organised sector and unorganised sector.

We are all aware that it is the working class that has been greatly affected by the process of liberalisation, globalisation and privatisation.

Of the hundred crore population in India, 35 crore of people belong to the labour class. Of this working class, 91% are in the unorganised sector. Agricultural workers who are daily wage earners constitute about 31 crore. Unfortunately they do not have any organisation of their own to represent them and take up their cause. They do not have trade unions leave alone the registration and recognition to them.

I urge upon the Government to ensure organised forums for these hapless people in the unorganised sector. Agriculture labourers who work as daily wage earners and people working in isolated cottage industries constitute

the majority of the labour force in the unorganised sector. There is a provision in this Bill that seeks to indirectly help them. The trade unions in the unorganised sector can have about 50% of its executive committee members from outside. This may help them partly but not fully. Though it is a welcome feature that would not suffice.

Hence I want to urge upon the Government to come with a comprehensive Bill especially for the workers in the unorganised sector.

Labour welfare measures like financial assistance, ex-gratia payment and accident insurance schemes are there in Tamil Nadu from the time when our founder leader Puratchi Thalaivi MGR was there. It is continued in a steadfast manner during the rule of our leader Dr Puratchi Thalaivi as Chief Minister of Tamil Nadu. I would like to request the Union Labour Minister to emulate the model schemes of Tamil Nadu and urge upon him to take steps to introduce such schemes throughout our country. I would like to suggest that a National Welfare Fund for the unorganised sector must be set up to help various States to take up these social security schemes for the welfare of the workers and their families.

My colleague Shri Vijayan of DMK who spoke ahead of me said there should not be any lull or shelving of schemes whenever there is change of guard after every elections. He said Governments may come and Governments may go. In Tamil Nadu their Government has gone. But at the Centre their NDA is in the Government. 'The benefits of welfare schemes must percolate unto the last' was the motto of our mentor MGR and our leader and the present Chief Minister of Tamil Nadu Dr Puratchi Thalaivi who upholds those noble ideals. Our Government would continue all the labour welfare measures without change even if Governments change. I would like to assure you that our Tamil Nadu Government led by our leader Dr Puratchi Thalaivi will not come in the way of any ongoing social welfare scheme.

As the Government at the Centre has brought this Trade Union (Amendment) Bill now on a piece-meal basis, and since they have not come forward with a comprehensive legislation to benefit a wider cross section of the Indian society, I have to oppose this Bill.

With this, let me conclude..

____

*English translation of speech originally delivered in Tamil.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Sir, I rise to support the Trade Unions (Amendment) Bill, 2001. Any nation's prosperity depends upon the prosperity of trade unionism and the workers' welfare. If the workers are well-off, the industry will be normally well-off. Otherwise, no industry will survive and thrive. This is a progressive step towards the welfare of the nation to work together, the industry and the workers. However, a comprehensive Bill is required to make the laws of the trade unionism to protect their interests in view of liberalisation and disinvestment. So many things are happening in the Industrial Sector but the rights of the labourers are not being taken care of. So, one day or the other, the hon. Minister, Dr. Satyanarayan Jatiya should come with a comprehensive Bill wherein no worker would lose his job. It is because in a welfare State, that is the first criterion in the society. The industry can have any number of workers but a worker cannot have any second job. It is very difficult to find a job and our nation is very poor. We have 100 crores of population and today's problem is to provide jobs for them. The youth is frustrated. Our Government has promised to provide one crore jobs per year and that is still luring the youth and that has not come into reality. In this context, you should take care and bring measures to provide more jobs and opportunities to the people to protect their interests.

With these words, I support the Bill.

MR. SPEAKER: Hon. Members, if the House agrees, we may pass this Bill and then take up the next item, namely, Private Members' Business. There are only two Members to speak on the Bill and it may take only about 15-20 minutes.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसके लिए चार घंटे का समय था। अब प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय हो गया और हम लोगों को अभी बोलना बाकी है। अब कैसे होगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी आप ही बोल रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह कैसे होगा, ये दोनों क्लैश कर रहे हैं। 3.30 बजे तो प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू होगा और इसमें चार घंटे का समय है, जिसमें से डेढ़ घंटा तो बिता ही दियाâ€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें केवल हम 15-20 मिनट लेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : किसी-किसी बिल में आधे घंटे का समय रहता है - उसमें हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं - इसके लिए तो चार घंटे का समय है, फिर समय की क्यों कटौती हो रही है?

MR. SPEAKER: I think there is a request from the Government side also.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): We may have to sit beyond 6 p.m. to pass this Bill because the Minister has to go for an international conference on Monday. That is the problem. Either it may be passed now or it may be taken up after 6 p.m.

MR. SPEAKER: We may take 15-20 minutes to pass this Bill or after finishing the Private Member's Business, we may take up this Bill again.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : छः बजे के बाद कैसे होगा?

श्री प्रमोद महाजन : अभी एक चीज में तो कोआपरेट करिये।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : मंत्री जी नहीं रहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : आप ऐसा मत कहिये कि मंत्री नहीं रहेगा, आप बैठे रहिये। We are not sitting here just to talk only to you. Please talk with some responsibilityâ€¦â€¦ (*Interruptions*) मंत्री जायेगा, आप बोलते हैं तो बोलते रहिये। यहां स्पीकर हैं तो आप बीच में क्यों आते हैं? मंत्री नहीं हैं, आप बोलते रहिये, आप क्या समझते हैं?

MR. SPEAKER: From the Chair, I am only taking the sense of the House.

SHRIMATI MARGARET ALVA : Sir, I just object to his remark that the Minister will go and we keep on talking. The House is more important than an international conference. That is not the way for an hon. Member to talk. What are we coming here for?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I share the agony of the Members. Actually, four hours have been allotted for this Bill. But due to two incidents which I do not want to narrate, this Bill had dragged on. I was also requested by the Minister on this Bill. Since only two Members are left to speak, I would appeal to Dr. Raghuvansh Prasad Singh and others who have left that if we take about 15-20 minutes to pass this Bill and extend the time of the Private Members' Business from 6 p.m. to 6.30 p.m, we can accommodate them . Every time, I do not want to confront. In this matter, I have a mind to cooperate. Due to the last two days development, we have realised that time is precious in our hands. From our side, there were three speakers. One Member is not present at the moment and two Members have already spoken. If on the Government side also, the number of speakers are reduced and the discussion and passing of the Bill may be concluded, I do not mind it. ...(*Interruptions*)

श्री खारबेल स्वाइं : आप मुझे डांट रही हैं, मेरा भी नाम था, लेकिन मैंने बोलने से मना कर दिया।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आपका नाम उन्होंने विदड्रा किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैंने रघुवंश बाबू को पुकारा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित संशोधन विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है। यह कामगारों से सम्बन्धित विधेयक है। देश में सारा उत्पादन का काम कामगार करते हैं। मजदूर ही कारखाना चलाते हैं, खेती करते हैं, कपड़ा बनाते हैं और बड़े-बड़े मकान बनाते हैं। दुनिया में सारा कुछ मेहनतकश मजदूर ही करते हैं। लेकिन ये चालाक लोग, पूंजीपति लोग पूंजी पर कब्जा जमाकर बैठे हैं। उनके द्वारा इन मजदूरों का शोाण होता है। उस शोाण के खिलाफ कोई कानून सरकार को बनाना चाहिए। रामानुजम समिति बैठी थी, सरकार ने दावा किया है कि उस समिति की अनुशंसा के मुताबिक हम यह संशोधन विधेयक लाए हैं। लेकिन रामानुजम समिति की जो अन्य सिफारिशें हैं, उन पर इन्होंने गौर नहीं किया। केवल जो बहुराट्रीय कम्पनीज को सूट करती हैं, जो पूंजीपतियों को सूट करती हैं, उन सिफारिशों को सरकार मानकर यह विधेयक यहां लाई है। मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है। रामानुजम समिति ने कहा था कि प्रबंधन में मजदूरों को शामिल किया जाना चाहिए। क्या कठिनाई है सरकार को मजदूरों को प्रबंधन में शामिल करने में ? यह सही है कि ट्रेड यूनियनिज्म हो, मजदूरों को अधिकार मिले, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा कंफ्रंट्रेशन हो जाता है कि उद्योग ही बर्बादी की तरफ चला जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उद्योग को बचाया जाना चाहिए। लेकिन मजदूरों की कीमत पर नहीं, उनके हितों की अनदेखी करके नहीं। अभी कहा गया कि मजदूर को देशभक्त होना चाहिए। हम लोग दावा करते हैं कि जो मेहनतकश लोग हैं, पसीना बहाने वाले हैं और जो उत्पादन और निर्माण करते हैं, वे हिन्दुस्तान में किसी से भी ज्यादा देशभक्त हैं। लेकिन इनको लगता है कि पूंजीपति ही देशभक्त हैं, यही इन लोगों की मानसिकता है और इसको सहन नहीं किया जा सकता। मजदूर लोगों को आजादी मिलनी चाहिए थी। वे जिसको चाहे चुनें, लेकिन इस बिल में प्रावधान है कि उसीमें से लीडर चुना जाना चाहिए। जबकि बाहर के लोग भी उनकी भलाई के लिए अच्छा काम करने वाले होते हैं। मजदूर अधिकतर अनपढ़ होते हैं। वे सारा दिन फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर घर का काम करते हैं इसलिए वे इतना नहीं सोच सकते कि किसको इसीमें से चुना जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि 100 मजदूर वाली यूनियन होनी चाहिए, तब ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इस सरकार के बजट भााण में है कि एक हजार मजदूर जिस कारखाने में काम कर रहे हों, उसका मालिक जब चाहे, वह कारखाना बंद कर सकता है। हमारे पास कई मजदूर लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कोई वेलफेयर नहीं है, सब कुछ मेनेजमेंट के लिए है। वे लोग हमें दो-चार साल के लिए काम पर रखते हैं और फिर निकाल देते हैं। अभी दिल्ली में एक फैसले के तहत छोटे कारखानों और उद्योगों को यहां से बाहर कर दिया। इस कारण बड़ी संख्या में मजदूर बेकार हो गए और अब वे बेहाल हो रहे हैं। जो मेहनतकश लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके लिए प्रोटेक्शन का इंतजाम होना चाहिए।

महाभारत की कहानी मुझे इस समय याद आ रही है। जिस समय भीम पितामह बाण शैया पर थे, वे ज्ञान की बातें करने लगे। यह सुनकर द्रौपदी हंसने लगी। इस पर पितामह ने पूछा कि हंस क्यों रही हो। इस पर उसने कहा कि पितामह जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, अनर्थ हो रहा था, उस समय तो आप चुप थे और आज ज्ञान की वाणी बोल रहे हैं। इस पर पितामह ने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। इस कारण मेरे शरीर में उसी का खून दौड़ रहा था। इसलिए तब जो गड़बड़ी और अनर्थ हो रहा था, मुझ में बोलने की, उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उस समय यह ज्ञान नहीं था।

जब बाण शैया पर भीम पितामह लेटे हुए थे,â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुन रहे हैं न?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय उनके शरीर का सारा खून बह गया और अब मैं ऊंचे ज्ञान की बात कर रहा हूं। महाभारत की यह कहानी जग जाहिर है और वही मैं कहना चाहता हूं। चूंकि यह सरकार पूंजीपतियों की मदद से बनी है और उनका अन्न खाये हुए है, इसीलिए पूंजीपतियों के मुताबिक कानून बना रही है। जब भीम पितामह जैसा प्रतापी दुर्योधन का अन्न खाने से उनका मन दुर्योधन की तरफ हो गया था और इसीलिए वे धर्म और नीति के मुताबिक सही आकलन नहीं कर सके तो यह सरकार जो बड़े आदमी और पूंजीपतियों की मदद से बनी हुई है, यह सरकार क्या मजदूरों का हित देख सकेगी? नहीं देख सकेगी। इसीलिए सरकार स्पट रूप से बताए कि रामानुजम कमेटी की सिफारिशों को लाने का काम उन्होंने क्यों नहीं किया? जो पूंजीपतियों को सूट किया, वही कानून ही यह सरकार ला रही है। मजदूरों का शोाण हो रहा है। मजदूरों को शोाण से मुक्ति दिलानी चाहिए। जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए यह सरकार गड़बड़ कानून ला रही है और उनको देखने वाला कोई नहीं है। पहले भी कानून बना हुआ था लेकिन उस कानून को दबाने वाले देश के जो स्वार्थी तत्व हैं, जो अवसरवादी हैं, जो शोाक लोग हैं, वे सरकार पर हावी हैं। वे चाहते हैं कि किसी हालत में मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब आदमी के लिए कानून नहीं बने और उसे प्रोटैक्शन नहीं मिले। इससे देश के लिए खतरा है और यह देश के लिए चुनौती है कि मजदूरी करने वालों का शोाण देश में जारी रहेगा। जब तक यह सरकार मेहनत मजदूरी करने वाले, गरीब आदमी के पेट के सवाल का हल नहीं करेगी तो अभी जो स्थिति है, उससे भी ज्यादा दयनीय हालत हो जाएगी और खूनी क्रांति की संभावना हो सकती है क्योंकि पेट की आग मस्तिक से जब बाहर निकलती है तो आग फैलाती है। इसलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हू कि जो मेहनतकश लोग हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम सरकार न करे। मजदूरों को छंटनी का खतरा रहता है। उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। उन्हें आधा काम मिलता है, उन्हें पूरा रोजगार नहीं मिलता है। कम दाम पर उन्हें काम करना पड़ता है। दिल्ली में जो फैक्टरियां हैं, उनमें मजदूरों को 1200 रु., 1500 रु. या 2000 रु. महीने पर काम करना पड़ता है। इतने कम पैसे में जिंदगी कैसे चलेगी? साल भर मं उन्हें केवल दो-चार महीना काम मिलता है। मजदूरी करने वाले लोगों के लिए यह संकट है। इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का कानून नहीं हो जो मल्टी-नेशनल और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला हो। 'एनरॉन' जो आया था, 7 रुपये बिजली हुई। जो विदेश से यहां आ रहे हैं, वे यहां शोाण करने के लिए आ रहे हैं। यहां सस्ता मजदूर है, इसीलिए वे यहां आना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको लाभ होगा। वे यहां परोपकार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि उसे राट्रीय हित की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और दबे हुए लोग जो हैं चाहे वे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में हों, उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। मजदूर भी अब कह रहे हैं : अब लौ नसैनी, अब न सहियो। अब जो हुआ, सो हुआ लेकिन आगे मै अब नहीं सह सकता हूं। इसलिए ये सारी बातें देखकर सरकार को एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए जो मजदूरों के हितों के खिलाफ नहीं हो, जो रामानुजम कमेटी की अनुशंसाओं के खिलाफ नहीं हो और जो मल्टी-नेशनल और पूंजीपतियों के पक्ष में नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I feel that it is good to avoid multiplicity of unions but at the same time, it is not good to force anybody to join any union. Therefore, it may not be proper to fix a minimum limit. A proviso to the effect that it may be ten per cent or any other per cent, subject to the minimum, would be quite all right.

The second proviso is a little troublesome, as far as some establishments are concerned because the number of workers would be very low. Therefore, it would not be proper to fix seven as the minimum limit. This is what I would like to say as the main aspect.

As has been stated by almost all the speakers, I too would like to have a comprehensive Bill, especially in the light of the new scenario where we have globalisation, privatisation and disinvestment. A large number of problems have cropped up amongst the labourers. Take for example, the poor porters at the railway stations. Railways have allowed the porters to carry luggage. They were also allowed to use the facility of railway pass. But all of a sudden, in the South, at Mangalore Railway Station, they have introduced privatisation. Tenders have been called and the jobs were given to private people without consulting the labour force. This type of move should not ensue. There are many such examples where privatisation is causing havoc to the working class.

We would like to have a new law with regard to the workers' participation in management also. Sharing of investment and profit to some extent may be considered.

श्री बालकृण चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे श्रमिक संघ, 2001 पर बोलने के लिए समय दिया।

इस विधेयक में नियोजकों, कर्मकारों के व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रेशन का उपबन्ध किया गया है। मेरे विचार से इससे एक भ्रम उत्पन्न होता है। मजदूरों के हितों के लिए इस विधेयक का नामकरण ट्रेड यूनियन के स्थान पर लेबर यूनियन रखा जाता, तो उचित होता। कारण यह कि 761 नियोजकों के व्यवसाय संघ और लगभग 50 हजार कर्मकारों के ट्रेड यूनियन्स रजिस्टर हुए हैं। इसमें जो भावना है, वह मजदूरों के संदर्भ में इस विधेयक में है और दूसरे, जहां तक आटोमेशन और कम्प्यूटराईजेशन का सवाल है, उस हिसाब से यह सरकार विपरीत दिशा में जा रही है। पहले न्यूनतम सात की संख्या में रिजस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब दस प्रतिशत पर बैन लगाना और सौ लेबर की मैम्बरशिप देना उचित नहीं है। कारण यह है कि हर उद्योग में लेबर्स की संख्या क्रमशः कम होती जा रही है, इसलिए इस संख्या को और कम करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

डॉ.सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस बिल को आपने इतना महत्व दिया। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में जिस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं वह प्राय: श्रम संगठनों के संबंध में सबसे पुराना 1926 का बिल है। उसमें अभी तक ऐसा कोई संशोधन नहीं हो पाया। यह कोई ऐसी बात नहीं है, जैसा कहा जा रहा है कि इससे मजदूरों का अहित हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम लोकतंत्र, ┌ ाजातंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में नेतृत्व विकास एक बहुत बड़ी बात है। जितने लोग बंटते जाते हैं. उतनी ताकत घटती जाती है और ट्रेड यूनियंस में जो लोग काम करते रहे हैं वे जानते हैं कि उनकी जितनी ताकत बढ़ती है उतनी बारगेनिंग केपेसिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अधिक यूनियंस के बन जाने से हम किसी के अधिकार को सीमित कर रहे हैं। अधिक यूनियंस बन जाने से उनकी जो संगठित ताकत है और आप जानते हैं कि वे केवल किसी के मोटिवेशन से या कोई यूनियन बनाने के लिए स्वत: प्रेरणा से काम करते हैं, किन्तु अन्यान्य लाभ भी बाकी के लोगों के जुड़े होते हैं। उसके कारण भी ट्रेड यूनियंस की स्थिति इस तरह की हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बातों का सामना करना पड़ता है। इसमें किसी भी की ऐसी कोई बात नहीं हैं, क्योंकि बहुत लम्बे विचार के बाद रामानुजम कमेटी

बनी थी। उसमें सारा विचार हुआ। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बनी। सब की राय लेकर, सलाह-मश्विरा करके उसमें हमने एक कदम आगे बढ़ाया।

हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि इसमें रिकॉग्नेशन की बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इसमें रिकॉग्नेशन की बात हो जाए, गुप्त मतदान के माध्यम से और जो अन्य पद्धतियां उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से रिकॉग्नेशन जरूर हो जाना चाहिए। अब यह व्यवस्था है कि दो र्वा तक किसी को भी मान्यता देने के लिए हमने नियम बनाया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वस्थ ट्रेड यूनियन यहां विकसित हो तथा स्वस्थ वातावरण में, औद्योगिक दृटि से भी हम काम कर सकें। उसमें किसी भी तरह से उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कानून में प्रावधान थे, उनमें जो नेतृत्व विकास है, पहले भी प्रावधान थे कि बाहर से लोग आएं और अब भी प्रावधान है कि बाहर के लोग उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अब पांच तक संख्या सीमित कर दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमने किसी को रोक दिया है। जिसे मार्गदर्शन करना है, बारगेनिंग करनी है वह टेबल पर आ कर बात कर सकते हैं और नेतृत्व करने के लिए मौके हैं। अब पांच लोग भी नेतृत्व कर सकते हं और दस लोग भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई रुकावट नहीं है। मोटे तौर पर जो विचार-विमर्श हो गया था, जैसे मैंने सारे उद्देश्य को पढ़ते हुए और उसके कारण को रखते हुए कहा था कि हमारे नेतृत्व का विकास हो गया। हम देख रहे हैं कि 1926 का कानून बना हुआ है, जिसे 75 साल हो गए हैं। इन 75 र्वाों में हमारे देश में श्रमिक क्षेत्र का, श्रम संगठनों का नेतृत्व विकसित नहीं हो रहा है, ऐसा हम कैसे मान लें। निश्चित रूप से इनका नेतृत्व हुआ है। जहां तक कानून की बात है- एक साथ पूरा कानून लाने पर सैकिंड लेबर कमीशन काम कर रहा है। वह रिपोर्ट आ जाने के बाद हम कॉम्प्रीहैंसिव पूरी तरह से, जिस तरह माननीय सदस्यों की राय थी, उसे मानते हुए, हम ठीक प्रकार का मजदूरों के हित में कानून ला सके,â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी हो, ऐसा कानून लाइए।

डॉ.सत्यनारायण जटिया : सरकारी उपक्रमों में बहुत जगहों पर इसे लागू किया हुआ है।â€¦(व्यवधान)

SHRI AJOY CHAKRABORTY: What about workers' participation in the industry?

डॉ.सत्यनारायण जटिया : हम जान रहे हैं कि श्रम और पूंजी को कम मानने की जरूरत नहीं है। मेरी और बाकी सब लोगों की मान्यता यह है कि कोई भी पूंजी का, समृद्धि का निर्माण अगर होता है, विकास और प्रगति होती है तो केवल पूंजी से नहीं होती, श्रम से तकनीकी का निर्माण होता है और श्रम के कारण ही तकनीकी बनती है। उसके कारण कौशल बनता है और कुशलता के कारण अच्छा प्रोडक्शन होता है तथा उसके कारण उसका मूल्य बनता है। इसलिए किसी भी वस्तु को मूल्य वान बनाने में श्रम और तकनीकी दोनों की जरूरत है। किसी भी समृद्धि में अगर श्रम, तकनीकी और पूंजी को तीन हिस्से मान लिए जाएं तो उसमें श्रम और तकनीकी दो हिस्सों का योगदान है। यह श्रम के माध्यम से ही होने वाला है। इस दृटि से किसी भी रूप में यदि श्रम और तकनीकी को प्रभावित करना, इसे कम करना, इसका आकलन करना, यह कभी भी नहीं होगा। इसे जो नज़रअंदाज करेगा, उसे निश्चित रूप से उसका खामियाज़ा, उसके नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा।

आज हम यह चाहते हैं और बहुत लोगों के विचार करने के बाद, राज्य सभा ने भी इसे पारित किया है और कमेटी में भी पारित हुआ है। आप सब के विचारों को बहुत ध्यान से मैंने सुना है और माननीय सदस्यों ने जो विचार दिए हैं निश्चित रूप से हमारे लिए वे बहुत मूल्यवान हैं। श्री पवन सिंह घाटोवार ने बात कहते हुए निश्चित रूप से बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि रिकग्निशन की बात भी होनी चाहिए और लेबर पॉलिसी का निर्धारण कौन करेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि लेबर पॉलिसी का निर्धारण हम करेंगे, देश करेगा, यह संसद करेगी और ऐसी नीति हम बनाएंगे जिसमें श्रम के क्षेत्र में, उसकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में बाकी के प्रबंध किए जाएं और किसी भी तरह से श्रमिक को ऐसे न छोड़ा जाए जिसके कारण उसे असुरक्षा महसूस हो। बदलते हुए परिवेश में जरूर यह दिखाई देता होगा कि हम आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं किंतु पिछले समय जब मैंने आईएलओ में अपनी बात कही तो हमने कौशल वैश्वीकरण की बात कही है, स्किल-ग्लोबलाइजेशन की बात कही है। यदि पूंजी दुनिया के किसी हिस्से से आने में कोई प्रतिबंध नहीं है तो हमारा श्रम कौशल भी दुनिया में जा सकता है और उस बात की पैरवी करने का काम, अगुवाई करने का काम हिंदुस्तान बखूबी कर सकता है। हमारे यहां कौशल की जो पद्धति है वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आज के अवसर पर श्री पवन सिंह घाटोवार ने, श्री थावरचंद गहलोत ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके विचारों को मैंने बहुत बारीकी से और गहराई से लिया है। माननीय बसुदेव आचार्य जी ने जो कहा है, उसके बाद श्री अरसूले जी ने अपनी बात को कहा है, श्री तिवारी जी इस पर बोले हैं, माननीय विजयन जी बोले हैं, श्री श्रीनिवासन जी बोले हैं, श्री मूर्ति जी बोले हैं और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने तो बहुत अच्छा बोला है, वे बोलते भी बहुत अच्छा हैं और निश्चित रूप से इस आधार पर श्री थामस जी का विचार हुआ है और श्री चौहान साहब का भी विचार हुआ है। â€¦(व्यवधान) इन सारी बातों पर जब हम विचार करते हैं तो यह सारा सर्वांगीण ि वचार है और हम सब श्रमिक क्षेत्र से आते हैं और मजदूरों के हित की बात करते हैं और चाहते हैं कि मजदूरों का शोाण नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ को कमाने के लिए शोाण की तरफ तवज्जोह नहीं देना चाहिए। मेहनतकश की कीमत पर अगर कोई लाभ कमाया जाता है तो वह अन्याय है। मेरा विश्वास है कि मेहनतकश को उसकी मेहनत का हक देना चाहिए और हम उसके पक्ष में हैं.। उसकी मेहनत को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा तो हम उनक4 इस बात के लिए कृतज्ञ हैं, यह राट्र कृतज्ञ है। आप सबने जो सुझाव दिए हैं उनका स्वागत करते हुए मैं सोचता हूं कि हम आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और एक ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें श्रम के कल्याण की दिशा है, श्रम के नेतृत्व की दिशा है और देश की उन्नति की दिशा है। मुझे विश्वास है कि आप इस ि वधेयक को पारित करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Trade Unions Act, 1926, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 - Amendment of Section 4

MR. SPEAKER: Shri A.C. Jos − Not present

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 - Amendment of Section 6

MR. SPEAKER: Shri A.C. Jos − Not present

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 - Insertion of new section 9A

MR. SPEAKER: Shri A.C. Jos − Not present

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

Clause 8 - Substitution of new section for section 22

MR. SPEAKER: There is an amendment to be moved by Shri Ajoy Chakraborty to Clause 8.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, I beg to move:

Page 3, line 2,--

omit "not" (1)

MR. SPEAKER: I shall now put the amendment to vote.

The amendment was put and negatived.

16.00 hrs.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

श्री सत्यनारायण जटिया: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

____

*t28

16.02 hrs.

Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2001(Amendment of article 177).

SHRI KOLUR BASAVANAGOUD (BELLARY): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI KOLUR BASAVANAGOUD : I introduce the Bill.

____